प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2023

विषय:-सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का सृजन तथा सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के स्थान पर सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं पदनाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-245/अ-5/2022, दिनांक 06.09.2022 एवं पत्रांक-293/अ-5/2022, दिनांक 12.10.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का सृजन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया है कि सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन द्वारा 09 विभागों (यथा-ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सहकारिता, दुग्ध आदि) की लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है। इन विभागों से लेखा परीक्षा प्रगति, अभिलेखों की उपलब्धता, अनुपालन आदि विषयों पर सामन्जस्य स्थापित करने, विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने निरीक्षण/जांच आदि की कार्यवाही करने, विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विभाग के नैत्यिक कार्यों के सम्पादन एवं शासन स्तर से सूचना/गोष्ठी आदि में प्रतिभाग करने, विभागाध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् रिक्त पद पर नियमित चयन होने तक विभागीय कार्यों के निष्पादन करने हेतु मुख्यालय स्तर पर अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी स्तर के एक अधिकारी की अत्यन्त आवश्यकता है।

2- उक्त के अतिरिक्त आपके पत्रांक-283/अ-5/2022, दिनांक 26.09.2022 द्वारा सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का नाम परिवर्तित कर सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश किये जाने तथा संगठन में कार्यरत अधिकारियों के पदनामों में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उल

लेख किया गया है कि वर्तमान में सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन द्वारा सहकारिता क्षेत्र की समस्त संस्थाओं (सहकारी बैंकों को छोड़कर) तथा समस्त पंचायत संस्थाओं (तीनों स्तर यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत) की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जा रही है तथा विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उन सभी दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, जो निदेशालय में निदेशक द्वारा किया जाता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की अपरिहार्यता एवं कार्यात्मक आवश्यकता तथा विभाग के उत्तरदायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का नाम परिवर्तित कर सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश किये जाने तथा उक्त विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के पदनामों में निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तन/सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 8900/-), सहकारी समितियां एवं पंचायतें का वर्तमान नाम परिवर्तित करते हुए निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा किया जाता है।
2. उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 6600/-), सहकारी समितियां एवं पंचायतें के 32 पदों में से 01 पद को आस्थगित करते हुए अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 8700/-) के 01 अस्थायी पद को दिनांक 28.02.2023 तक के लिये सृजित कर उक्त पद का नाम परिवर्तित करते हुए अपर निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा किया जाता है।
3. संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 7600/-), सहकारी समितियां एवं पंचायतें का वर्तमान नाम परिवर्तित करते हुए संयुक्त निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा किया जाता है।
4. उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 6600/-), सहकारी समितियां एवं पंचायतें का वर्तमान नाम परिवर्तित करते हुए उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा किया जाता है।
5. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे रू0 5400/-), सहकारी समितियां एवं पंचायतें का वर्तमान नाम परिवर्तित करते हुए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा किया जाता है।

4- सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का नाम परिवर्तित कर सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश किये जाने तथा उक्त विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के पदनामों में परिवर्तन तथा अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 01 अस्थायी पद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में संगत सेवा

नियमावली/नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।

5- अपर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के उक्त पद पर होने वाला व्ययभार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-065 के लेखा शीर्षक-2425-सहकारिता-101-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के अन्तर्गत संगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Signed by प्रशान्त त्रिवेदी
(प्रशान्त त्रिवेदी)
Date: 12-01-2023 10:57:07
अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(समीर)
विशेष सचिव।

निदेशक, सहकारी समितियां एंव पंचायत लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–सी–346 /अ–5/2023 /लखनऊ/ दिनांक– 13-01-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, वित्त(लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश, शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त/ निबंधक उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त गन्ना एंव चीनी उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त , परिवहन विभाग लखनऊ।

7. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. महालेखाकार उत्तर प्रदेश।
10. महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, पंचायती राज लेखा 10वां तल इंदिरा भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. निदेशक, मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15. प्रबंध निदेशक, मत्स्य सहकारी संघ लखनऊ।
16. निदेशक, हथकरघा कानपुर।
17. निदेशक, मंडी परिषद लखनऊ।
18. निदेशक, राज्य परियोजना, शिक्षा परियोजना परिषद विद्या भवन निशातगंज लखनऊ।
19. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एंव समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20 पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता अपराध अनुसंधान विभाग से.7 गोमती नगर लखनऊ।
21. अनुसचिव, समिति (वित्त) अनुभाग-4 विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश।
22. प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स संघ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23. प्रबंध निदेशक, गन्ना समिति संघ, उत्तर प्रदेश।
24. प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी संघ उत्तर प्रदेश (पी.सी.एफ.)
25. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ,(पैकफेड)
26. प्रबंध निदेशक, राज्य निर्माण एंव श्रम विकास सहकारी संघ, (लैकफेड)
27. प्रबंध निदेशक, पी.सी.डी.एफ. लखनऊ।
28. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ। (एल.डी.बी.)।
29. प्रबंध निदेशक, उपभोक्ता सहकारी संघ।
30. प्रबंध निदेशक, यूपिका।
31. प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिब यूनियन(पी.सी.यू)।
32. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
33. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
34. समस्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एंव पंचायतें उत्तर प्रदेश ।
35. समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एंव पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
36. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, इंद्रिरा भवन - जवाहर भवन लखनऊ।

(पद्म जंग)
निदेशक।